भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 49

जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक) को दिया गया

ई-बीमा की अनिवार्यता

49. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा अनिवार्य ई-बीमा की शुरुआत बीमा क्षेत्र में सुधार लाने और उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने दिनांक 20/4/2024 को पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण, बीमाकर्ताओं के परिचालन और संबद्ध कार्य विनियम, 2024 को अधिसूचित किया है जिसमें विनियम संख्या 13 विशिष्ट रूप से ई-बीमा पॉलिसियों से संबंधित है।

इन विनियमों में निम्नानुसार उपबंध हैं:

i. प्रत्येक बीमाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसियों को जारी करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति रखी जानी अपेक्षित है। इस नीति में विभिन्न अन्य मुद्दों के अलावा साइबर सुरक्षा उपायों की निरंतर समीक्षा और उसका उन्नयन शामिल होगा।

ii. प्रत्येक बीमाकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसियां जारी करेगा। तथापि, पॉलिसीधारक द्वारा अनुरोध किए जाने पर बीमाकर्ताओं को भौतिक रूप में पॉलिसी जारी करनी अपेक्षित होगी।

यह विनियम निम्नलिखित कारणों से बीमा क्षेत्र में सुधार और ग्राहकों के लिए प्रक्रियाओं को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है:

- **सुगम्यता:** ई-बीमा कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करके और ग्राहकों को ऑनलाइन पॉलिसियों को खरीदने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाकर व्यापक जनसांख्यिकीय के लिए बीमा उत्पादों की पहुंच बढ़ाता है।

- **परिचालनात्मक दक्षता:** ई-बीमा, बीमा उद्योग के समग्र डिजिटलीकरण में योगदान देता है और आसान पॉलिसी प्रबंधन, कम कागजी कार्रवाई और तीव्र प्रोसेसिंग समय जैसे लाभ प्रदान करता है। इससे संभावित रूप से पॉलिसी जारी करने, नवीनीकरण और दावा प्रक्रियाओं में बेहतर दक्षता प्राप्त हो सकती है।
- **कम लागत:** पालिसियों से जुड़ी कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक उपरिव्यय को कम करके, ई-बीमा संभावित रूप से बीमा कंपनियों के लिए लागत बचत का कारण बन सकता है। इन बचतों को ग्राहकों को कम प्रीमियम या बेहतर कवरेज विकल्पों के रूप में दिया जा सकता है।
- **अदावी राशि:** ई-बीमा के माध्यम से बढ़ी हुई पहुंच के परिणामस्वरूप, पारंपरिक कागज-आधारित पॉलिसियों की तुलना में अदावी राशि की घटनाओं को कम किया जा सकता है, जहां दस्तावेज खो दिए जाते हैं या भुला दिए जाते हैं।

******